# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

## दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक/विउशिनिफोदु/2026/324 दुर्ग, दिनांक 23/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
**प्रकरण क्रमांक: 112**
**दिनांक: 08/05/2026**

अधीक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई
बी.पी. क्रमांक : **1001918450**

आवेदक

**विरुद्ध**

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, सुपेला जोन

आवेदकगण

### आदेश

(आज दिनांक 17/09/2026 को पारित किया गया)

### 1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001918450, स्वीकृत भार 5.6 किलोवाट, के विद्युत बिल में अनियमितता होने के संबंध में यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

### 2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है /–

1. उपरोक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई की सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित है।

2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 5.6 किलोवाट है।

3. सितंबर 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

### 3. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा शिकायत की गई है कि नवंबर 2024 से जुलाई 2025 की अवधि के लिए 488 यूनिट की खपत के आधार पर बिल जारी किया गया है, जबकि उक्त बिलिंग सही मीटर रीडिंग अथवा समुचित फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर नहीं की गई है। अतः उक्त अवधि की असेसमेंट/बिलिंग में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।

आवेदक द्वारा यह भी शिकायत की गई है कि विद्युत खपत की गणना में मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) 40 का प्रयोग किया जा रहा है तथा बिल को MF–1 के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः MF का सत्यापन एवं आवश्यक सुधार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सड़क बत्ती के कनेक्शन पर लगाए गए पावर फैक्टर/कैपेसिटर सरचार्ज को गलत बताते हुए उसे निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

### 4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन से संबंधित अप्रैल 2018 से जून 2026 तक का बिलिंग डाटा एवं गणना पत्रक फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर दिसंबर 2024 से जुलाई 2025 तक डिफेक्टिव रहा। उक्त अवधि के दौरान 488 यूनिट के आधार पर बिलिंग की गई, जो मीटर के सही रहने की पूर्व अवधि में दर्ज विद्युत खपत के औसत के आधार पर की गई है।

### 5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं /–

1. क्या दिसंबर 2024 से जुलाई 2025 की डिफेक्टिव मीटर अवधि में 488 यूनिट के आधार पर की गई बिलिंग में संशोधन आवश्यक है?

2. क्या उक्त डिफेक्टिव अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज को निरस्त किया जाना उचित है?

3. क्या कनेक्शन में प्रयुक्त मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) का पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक है?

## 6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत मीटर डायरी, मीटर रीडिंग एवं बिलिंग गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आते हैं /–

6.1 अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता के कनेक्शन में स्थापित मीटर दिसंबर 2024 से जुलाई 2025 की अवधि में डिफेक्टिव रहा। उक्त अवधि में उपभोक्ता की औसत खपत 488 यूनिट के अनुसार बिलिंग की गई है।

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उक्त 488 यूनिट की औसत खपत मीटर के सही रहने की पूर्व अवधि में दर्ज खपत के औसत के आधार पर निर्धारित की गई है। अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त अवधि की 488 यूनिट की बिलिंग में परिवर्तन किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। इसलिए इस संबंध में आवेदक की शिकायत स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

6.2 मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान उपभोक्ता के बिल में कैपेसिटर सरचार्ज लगाया गया है। डिफेक्टिव मीटर अवधि में उक्त सरचार्ज की बिलिंग उचित नहीं पाई जाती। अतः दिसंबर 2024 से जुलाई 2025 की अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज को निरस्त किया जाना उचित है।

6.3 आवेदक द्वारा मीटर के मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) के संबंध में संदेह व्यक्त किया गया है तथा बिलिंग में MF–40 के प्रयोग की आपत्ति की गई है। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर इस स्तर पर MF को अंतिम रूप से सही अथवा गलत निर्धारित करना उचित नहीं होगा। अतः अनावेदकगण द्वारा संबंधित मीटर एवं उसकी मीटरिंग व्यवस्था का परीक्षण कर वास्तविक/सही MF निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

अतः अनावेदकगण को निर्देशित किया जाना उचित है कि MF का विधिवत परीक्षण कर सही डथ के अनुसार ही आगामी एवं आवश्यकतानुसार संबंधित बिलिंग सुनिश्चित करें।

साथ ही, उपभोक्ता का स्वीकृत भार 5.6 किलोवाट है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस भार के लिए CT मीटर की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में मीटरिंग व्यवस्था को लागू प्रावधानों के अनुरूप सत्यापित किया जाना भी आवश्यक है।

## 7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है /–

1. दिसंबर 2024 से जुलाई 2025 की डिफेक्टिव मीटर अवधि में 488 यूनिट के आधार पर की गई बिलिंग, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पूर्व की वास्तविक खपत के औसत पर आधारित पाए जाने के कारण यथावत रखी जाती है। इस मद में कोई अतिरिक्त संशोधन आवश्यक नहीं है।

2. दिसंबर 2024 से जुलाई 2025 की डिफेक्टिव मीटर अवधि के दौरान लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज को निरस्त किया जाए तथा उक्त मद में वसूल की गई राशि का नियमानुसार समायोजन किया जाए।

3. उपभोक्ता के कनेक्शन में प्रयुक्त मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) का अनावेदकगण द्वारा विधिवत परीक्षण/सत्यापन कराया जाए। परीक्षण के उपरांत यदि MF में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो सही MF के आधार पर संबंधित अवधि की बिलिंग का नियमानुसार पुनर्गणना एवं आवश्यक समायोजन किया जाए।

4. उपभोक्ता के स्वीकृत भार 5.6 किलोवाट को ध्यान में रखते हुए मीटरिंग व्यवस्था एवं स्थापित मीटर की उपयुक्तता का भी लागू प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया जाए तथा आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जाए।

5. उपर्युक्त संशोधन एवं समायोजन के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा अथवा वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए।

6. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

7. उपर्युक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

8. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

9. आदेश पारित।

10. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग